कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
सिंचाई प्रमंडल, नवादा।
Email- ee.wrd.nawada@gmail.com

पुनः अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०–02/2026–2027

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नवादा के अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणियों/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के अन्तर्गत नहर गेट निरीक्षण एवं उच्च अधिकारियों की बैठकों में भाग लेने एवं कार्यालय आने–जाने इत्यादि कार्यो हेतु भाड़े पर एक वाहन (ए०सी०/नन ए०सी० एस०यू०वी०) के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। जिसे मुहर बंध लिफाफे में दिनांक 19.05.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक सिंचाई प्रमंडल, नवादा कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 03:30 बजे अपराहन् में खोला जायेगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

कार्य की विवरणी निम्न प्रकार हैं :–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अवधि	वाहन की संख्या	अभियुक्ति
1	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नवादा	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027	01	वाहन का किराया उप विकास आयुक्त, जिला नजारत शाखा, नवादा के पत्रांक 270 दिनांक 07.06.2023 के द्वारा निर्धारित दैनिक ईंधन रहित (GST सहित) दर या न्यूनतम दर स्वीकार होगा।

शर्ते निम्नवत् है :–

1. भाड़े पर वाहन विभागीय निर्देशानुसार दिये अवधि तक के लिए लिया जायेगा।
2. वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए। साथ ही वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
3. वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
4. चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेन्स होना चाहिए।
5. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डिजल अथावा 10 कि०मी०/लिटर मे से जो अधिक हो मान्य होगा।
6. वाहन का रख रखाव, साफ–सफाई वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा तथा हमेशा चालू अवस्था में रखने की वाहन मालिक/वाहन अपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी। वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित वाहन की जिम्मेदारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी।
7. नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी०एस०टी० आदि अन्य करों का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता को स्वयं वहन करना होगा। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं होगा।
8. एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता के द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जायेगा।
9. सेवा असन्तोषजनक रहने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कार्यालय द्वारा बिना कारण बताये एकरारनामा रद्द करने का अधिकार होगा।
10. इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता क्रमांक 3 एवं 4 से संबंधित कागजात के साथ अपना कोटेशन दिनांक 12.05.2026 से 19.05.2026 तक कार्य अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में बन्द लिफाफे में 03:00 बजे अपराहन् तक समर्पित करेंगें। जिसे दिनांक 19.05.2026 के 03:30 बजे अपराहन् में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते है। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए आपको सूचित किया जाएगा।
11. कोटेशनदाता/एजेंसी सभी वाहनों, जनशक्ति, तृतीय पक्ष बीमा, आदि का बीमा करने के लिए जिम्मेदार होगी। दुर्घटना, चोरी, क्षति, सेंधमारी आदि के लिए और अवधि के दौरान बीमा कवर के नवीनीकरण के लिए भी अनुबंध।
12. नियमानुसार आवश्यक सक्षम पदाधिकारी के आदेश एवं आवंटन उपलब्ध होने पर ही भाड़ा एवं इंधन व्यय का भुगतान गाड़ी मालिक को किया जाएगा तथा इसमें पूर्व एवं अतिरिक्त गाड़ी मालिक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
13. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशन दाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा।

12.05.2026

कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, नवादा।

12/05/26

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक :– 499 /नवादा, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु समर्पित।

12/05/2026

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, नवादा

12/05/26